नागरिक विविध

न्यायमूर्ति, आर.एस नरूला और एस.एस संधवालिया के समक्ष

हजुरा सिंह,-याचिकाकर्ता

बनाम

इलाक़ा मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (न्यायिक) पुलिस स्टेशन,
शाहाबाद और दुसरी,—*उत्तरदाताओं.*

Civil Writ No. 2349 of 1964.

19 अगस्त, 1968

*पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम,*1952 (*IV of* 1953 *as amended by Act* XXVI *of* 1962)—धारा 13-बी और 13.0-भारत का संविधान (1950)-अनुच्छेद 226-चुनाव याचिका पर निर्धारित प्राधिकारी द्वारा रद्द किया गया ग्राम पंचायत का चुनाव-निर्धारित प्राधिकारी के आदेश को रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई-याचिका स्वीकार की गई लेकिन नए सिरे से चुनाव रोक नहीं लगाई गई - नए सिरे से चुनाव कराए गए - रिट याचिका -*जहां निष्फल हो जाता है—उच्च न्यायालय*-क्या ऐसी याचिका में कोई राहत देनी चाहिए।

अभिनिर्धारित किया गया कि पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 13-बी के तहत प्रदान की गई चुनाव याचिका के अलावा किसी ग्राम पंचायत के चुनाव को रद्द नहीं किया जा सकता है और इसके लिए चुनौती के आधार अधिनियम की धारा 13-0 के प्रावधानों द्वारा सीमित हैं। यदि किसी चुनाव याचिका पर निर्धारित प्राधिकारी उस चुनाव को रद्द कर देता है जिसके खिलाफ भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका उच्च न्यायालय में स्वीकार की जाती है, लेकिन नए चुनाव पर रोक नहीं लगाई जाती है, तो नए चुनाव परिणामस्वरूप होते हैं, यदि चुनौती नहीं दी जाती है उच्च न्यायालय में किसी अन्य चुनाव याचिका या रिट याचिका को अंतिम रूप दिया जाता है और पिछली रिट याचिका की मंजूरी से इसे परेशान नहीं किया जा सकता है। अत: याचिका निरर्थक हो जाती है। याचिका की

योग्यता के आधार पर निर्णय पूरी तरह अकादमिक है और याचिकाकर्ता को कोई राहत देने में असमर्थ है।

(पैरा 6, 9 और 14)

मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए माननीय श्री न्यायमूर्ति शमशेर बहादुर द्वारा 3 जनवरी, 1967 को मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेजा गया। मामले का निर्णय अंततः 19 अगस्त 1968 को माननीय श्री न्यायमूर्ति आर.एस नरूला और माननीय श्री न्यायमूर्ति एस.एस संधवालिया की खंडपीठ द्वारा किया गया।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका, प्रार्थना करते हुए कि एक रिट की उत्प्रेषण की प्रकृति या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करनाल के 9 अक्टूबर 1964के आदेश को रद्द करते हुए आदेश जारी किया जाए।

बहादुर सिंह, वकील, याचिकाकर्ता के लिए।

एचएल सरीन, वरिष्ठ अधिवक्ता, और बीएस मलिक, अधिवक्ता, प्रतिवादियों की ओर से

निर्णय

न्यायमूर्ति एस.एस संधवालिया—हजूरा सिंह याचिकाकर्ता ने इस याचिका में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत विहित प्राधिकारी श्री जीएस अग्रवाल, पीसीएस, मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, करनाल के 9 अक्टूबर 1964 के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की है। जिससे याचिकाकर्ता का सरपंच पद पर निर्वाचन रद्द कर दिया गया है। याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 2, सावन सिंह ने ग्राम सभा कल्याणा, तहसील थानेसर, जिला करनाल के सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ा था। याचिकाकर्ता को एक वोट के अंतर से निर्वाचित घोषित किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 ने तब याचिकाकर्ता के चुनाव को चुनौती देते हुए एक चुनाव याचिका दायर की और आक्षेपित आदेश द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया और वर्तमान याचिकाकर्ता के चुनाव को रद्द कर दिया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय में वर्तमान याचिका दायर की और इसके साथ ही उसने यह भी प्रार्थना की थी कि 2 नवंबर, 1964 को उपायुक्त, करनाल द्वारा पुनः चुनाव का आदेश दिया गया था, उस पर रोक लगा दी जानी चाहिए। वर्तमान याचिका और स्थगन की याचिका ए.एन ग्रोवर और दुआ, *न्यायमूर्ति* की स्वीकारोक्ति पीठ के समक्ष आई और उनके आदेश दिनांक 30 अक्टूबर, 1964 के अनुसार याचिका स्वीकार कर ली गई लेकिन

चुनाव पर रोक लगाने की प्रार्थना तय कर दी गई। 2 नवंबर, 1964 को स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया। 2 नवंबर, 1964 को दोबारा चुनाव विधिवत हुआ और याचिकाकर्ता और प्रतिवादी दोनों ने इसमें भाग लिया। उक्त चुनाव में याचिकाकर्ता हार गया और प्रतिवादी नंबर 2 को 43 मतों के बहुमत से निर्वाचित घोषित किया गया। 2 दिसंबर, 1966 को दायर प्रतिवादी नंबर 2 की ओर से वर्तमान याचिका के जवाब में, उनकी ओर से दो प्रारंभिक आपत्तियां उठाई गई हैं - पहली यह कि याचिका निरर्थक हो गई है क्योंकि नया चुनाव हुआ है और पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 13 (बी) में निर्धारित चुनाव याचिका के अलावा इस चुनाव को रद्द नहीं किया जा सकता है। दूसरी आपत्ति यह है कि याचिकाकर्ता के पास नए चुनाव में स्वेच्छा से भाग लेने वालों को अब इस याचिका पर दबाव डालने से रोक दिया गया है। जब 3 जनवरी, 1967 को याचिका एक विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष आई, तो इन दो प्रारंभिक आपत्तियों को उनके सामने जोर-शोर से रखा गया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इसी तरह का प्रश्न कई अन्य याचिकाओं में उठने की संभावना है और चुनाव मामले में निर्णय के स्पष्ट महत्व के कारण, विद्वान एकल न्यायाधीश ने याचिका को एक डिवीजन बेंच को भेज दिया है और मामला इस प्रकार है।

(2) प्रतिवादी नंबर 2 के विद्वान वकील श्री एच.एल सरीन ने दूसरी आपत्ति पर जोर नहीं दिया है, जो उन्होंने विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष उठाई थी, अर्थात् याचिकाकर्ता का बाद के चुनाव में भाग लेने का तथ्य एक विबंध के रूप में कार्य करता है और उसे वंचित करता है। विहित प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेश पर सवाल उठाने से। हालाँकि, उन्होंने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि याचिका अब निरर्थक हो गई है। मुख्य रूप से पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 की धारा 13-बी के प्रावधानों पर भरोसा किया गया है, जिसे इसके बाद अधिनियम कहा जाएगा जो निम्नलिखित शर्तों में है: -

(3) इसलिए, विद्वान वकील का तर्क यह है कि एक नया चुनाव पहले ही हो चुका है, अब इसे धारा 13-बी के प्रावधानों के अनुरूप होने के अलावा, यानी चुनाव याचिका के माध्यम से रद्द नहीं किया जा सकता है। माना कि नये चुनाव के बाद घोषित परिणाम के खिलाफ कोई चुनाव याचिका दायर नहीं की गयी है. श्री सरीन ने आगे तर्क दिया कि दूसरे चुनाव को भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत इस न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है और इस प्रकार यह अब अंतिम हो गया है। उनका कहना है कि अगर सर्टिओरीरी की रिट दी भी जाती है तो यह अर्थहीन होगी और इससे याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं मिलेगी। ऐसा होने पर उनका कहना है कि इस न्यायालय ने हमेशा उन मुद्दों पर निर्णय लेने से इनकार कर दिया है जो पूरी तरह से अकादमिक हैं और जिनसे वादकारियों को कोई राहत नहीं मिल सकती है। हालाँकि, श्री सरीन ने अपने उपरोक्त तर्क के समर्थन में किसी अधिकार या निर्णय का हवाला नहीं दिया है और पूरी तरह से सिद्धांत पर तर्क दिया है और खुद को क़ानून के प्रावधानों पर आधारित किया है।

(4) जवाब में याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री बहादुर सिंह ने अपने मामले को मुख्य रूप से उस कठिनाई पर आधारित करते हुए दलील दी है जो याचिकाकर्ता को होगी यदि प्रारंभिक आपत्ति को सफल होने दिया जाता है। उनका तर्क है कि यह स्पष्ट अन्याय का मामला होगा कि विहित प्राधिकारी का आक्षेपित आदेश केवल इसलिए चुनौतीहीन हो जाना चाहिए क्योंकि स्वीकार करने वाली पीठ नए चुनाव पर रोक लगाने की प्रार्थना करते हुए अंतरिम राहत को अस्वीकार करने में प्रसन्न थी। श्री बहादुर सिंह भी किसी भी प्राधिकारी द्वारा अपने तर्क का समर्थन करने में असमर्थ रहे हैं और जैसा कि ऊपर देखा गया है, दोनों पक्षों ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि इस बिंदु पर कोई प्रत्यक्ष निर्णय नहीं हुआ है।

(5) हमने मुद्दे में बिंदु पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। यह देखा जा सकता है कि पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 को पंजाब ग्राम पंचायत संशोधन अधिनियम, 1962 द्वारा संशोधित किया गया था, जो 1962 का पंजाब अधिनियम संख्या 26 है। उक्त संशोधन द्वारा अध्याय 2-ए जिसमें धारा 13-ए से 13 शामिल हैं जैसा कि अध्याय के शीर्षक से स्पष्ट है, ये प्रावधान चुनावों से संबंधित विवादों से संबंधित हैं। धारा 13-ए परिभाषित धारा है जबकि धारा 13-बी के प्रावधानों पर पहले ही ध्यान दिया जा चुका है। धारा 13-सी से 13-एन मुख्य रूप से प्रक्रियात्मक हैं, जो चुनाव याचिकाओं की प्रस्तुति के तरीके, उसकी सामग्री, उसे प्राप्त करने वाले प्राधिकारी, उपायुक्त और उपायुक्त में निहित याचिकाओं को वापस लेने और स्थानांतरित करने की शक्ति निर्धारित करती हैं। विहित प्राधिकारी के समक्ष अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का तरीका और निर्धारित प्राधिकारी की शक्तियां, साथ ही उसके द्वारा संचालित की जाने वाली कार्यवाही की प्रक्रिया उक्त प्रावधानों में निर्धारित की गई है। धारा 13-0 महत्वपूर्ण है और निम्नलिखित शर्तों में है: -

"चुनावों को रद्द करने का आधार. (1) यदि विहित प्राधिकारी की राय है-

(a) अपने चुनाव की तिथि पर निर्वाचित व्यक्ति इस अधिनियम के तहत निर्वाचित होने के लिए योग्य नहीं था, या अयोग्य ठहराया गया था; या

(b) कि किसी भी नामांकन को अनुचित तरीके से खारिज कर दिया गया है; या

(c) जहां तक के परिणाम का संबंध निर्वाचित व्यक्ति से है, वह भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है-

(d) किसी भी नामांकन की अनुचित स्वीकृति से; या

(e) किसी वोट को अनुचित तरीके से स्वीकार करने, अस्वीकार करने या अस्वीकार करने या किसी ऐसे वोट को स्वीकार करने से जो शून्य हो; या

(f) इस अधिनियम के प्रावधानों या इस अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी नियम का अनुपालन न करने से;

(g) निर्धारित प्राधिकारी निर्वाचित व्यक्ति के चुनाव को रद्द कर देगा।

(h) जब किसी चुनाव को उपधारा (1) के तहत रद्द कर दिया गया हो तो नया चुनाव कराया

जाएगा।"

(i) ए

(j) इसलिए, क़ानून के प्रावधानों से यह पता चलता है कि सबसे पहले ग्राम पंचायत के चुनाव को धारा 13-बी के तहत प्रदान की गई चुनाव याचिका के अलावा रद्द नहीं किया जा सकता है, परिणामस्वरूप इसके लिए चुनौती के आधार सीमित हैं। ऊपर उद्धृत धारा 13-0 के प्रावधानों और अंत में धारा 13-सी में प्रावधान है कि याचिका निर्धारित प्राधिकारी को धारा 13-0 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट एक या अधिक आधारों पर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

(6) यह ध्यान देने योग्य है कि संशोधित अधिनियम, 1962 द्वारा प्रस्तुत अध्याय 2-ए के प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के भाग 6 में अध्याय 2 के प्रावधानों के समान हैं और कई मामलों में समान हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 इस प्रकार है:- „

*"चुनाव याचिकाएँ:*इस भाग के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई चुनाव याचिका के अलावा किसी भी चुनाव पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।

(7) इस प्रकार यह स्पष्ट है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 80 के प्रावधान पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 की धारा 13-बी के संदर्भ में समान हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रासंगिक प्रावधान और लगभग अनुच्छेद 329 (बी) के समान प्रावधानों की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एनपी पोन्नुस्वामी बनाम रिटर्निंग ऑफिसर, नमक्कल (1) में आधिकारिक तौर पर व्याख्या की गई थी, और इसे इस प्रकार देखा गया था: -

"भारत में चुनाव का कानून इस बात पर विचार नहीं करता है कि इससे जुड़े मामलों पर दो हमले होने चाहिए

(1) ए.आई.आर 1952 एस.सी 64।चुनाव की कार्यवाही, एक तो जब वे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का उपयोग करके चल रही हों (अदालतों के सामान्य क्षेत्राधिकार को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया हो), और दूसरा चुनाव याचिका के माध्यम से पूरा होने के बाद . कोई भी मामला जिसका चुनाव को प्रभावित करने का प्रभाव हो, उसे उचित चरण में उचित तरीके से विशेष न्यायाधिकरण के समक्ष ही लाया जाना चाहिए और किसी भी न्यायालय के समक्ष मध्यवर्ती चरण में नहीं लाया जाना चाहिए।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों से यह निष्कर्ष निकालना उचित होगा कि अधिनियम केवल एक ही उपाय प्रदान करता है, वह उपाय चुनाव समाप्त होने के बाद प्रस्तुत की जाने वाली चुनाव याचिका है, और कोई भी मध्यवर्ती चरण इसमें कोई उपाय प्रदान नहीं किया गया है।

(8) बिरमा राम बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (2) के रूप में रिपोर्ट किए गए राजस्थान उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले में, इसे इस प्रकार भी देखा गया है: -

"इस न्यायालय में यह दृष्टिकोण दृढ़ता से स्थापित है कि जहां एक चुनाव याचिका निहित है, यह न्यायालय तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि चुनाव न्यायाधिकरण संबंधित पक्षों के बीच विवाद का फैसला नहीं कर देता।"

इस मामले के तथ्यों पर, यह उभर कर आता है कि नए चुनाव के नतीजे, जिन्हें अधिनियम की धारा 13-बी के तहत चुनाव याचिका के माध्यम से या अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका के माध्यम से चुनौती नहीं दी गई है, अब अंतिम रूप ले चुके हैं। जिसे इस रिट याचिका के मंजूर होने और यहां लागू आदेश को रद्द करने से परेशान नहीं किया जा सकता है।

(9) मामले को दूसरे नजरिये से भी देखा जा सकता है. धारा 13-0, उप-खंड (2), स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि जहां धारा के प्रावधानों के तहत एक चुनाव को रद्द कर दिया गया है, वहां एक नया चुनाव आयोजित किया जाएगा। यह स्पष्टतः एक अनिवार्य समर्थक है-

(2) आई.एल.आर (1958) 8 राज. 211.दृष्टि। जब वर्तमान याचिकाकर्ता का चुनाव चुनाव याचिका के माध्यम से रद्द कर दिया गया, तो धारा 13-0, उप-खंड (2) के आदेश के तहत कार्य करने वाले प्राधिकारी ने नए सिरे से चुनाव का आदेश दिया और नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए 1 नवंबर, 1964 तय की और 2 नवंबर 1964 को नए सिरे से होने वाले चुनाव में मतदान के लिए।

याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान याचिका के प्रवेश के समय अंतरिम राहत के माध्यम से सिविल विविध संख्या 3775/1964, दिनांक 27 अक्टूबर, 1964 में इस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है कि इस सिविल विविध को *न्यायमूर्ति* , ए.एन ग्रोवर और आई.डी दुआ की प्रवेश पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया था, और उनके आदेश, दिनांक 30 अक्टूबर, 1964 द्वारा, स्थगन को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया था और निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था: -

"श्री। बहादुर सिंह।

सूचना। कोई स्थगन नहीं। जल्दी तिथि।"

(10) ऐसा होने पर 2 नवंबर, 1964 को चुनाव कार्यक्रम के उचित प्रकाशन के बाद हुआ चुनाव पूरी तरह से कानून के अनुसार था और इसकी वैधता पर अब वर्तमान याचिका में महाभियोग नहीं लगाया जा रहा है।

इसलिए तर्क के लिए यह भी मान लिया जाए कि रिट याचिका को अनुमति दी जानी चाहिए और प्रार्थना के अनुसार उत्प्रेषण रिट जारी की जानी चाहिए, याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी जाएगी क्योंकि नए चुनाव का परिणाम पूर्ण वैधता के साथ जारी रहेगा। एम.एन गुरुस्वामी बनाम मैसूर राज्य और अन्य (3) में, अपीलकर्ता की दलीलों को बरकरार रखने के इच्छुक होने पर भी सुप्रीम कोर्ट के उनके आधिपत्य ने निम्नानुसार देखा है: -

"इसलिए, एक रिट अप्रभावी होगी और चूंकि अर्थहीन रिट जारी करना हमारी प्रथा नहीं है, इसलिए हमें इस अपील को खारिज कर देना चाहिए और अपीलकर्ता को कानून की व्याख्या के साथ संतुष्ट छोड़ देना चाहिए।"

(11) यूपी नगर पालिका अधिनियम के तहत मामले में महेश चंद्र और अन्य बनाम तारा चंद मोदी (4) में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने भी इस प्रकार देखा है: -

"राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति का चुनाव शीघ्र ही होगा। इसलिए, याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रार्थना की गई कोई भी रिट जारी करना व्यर्थ होगा। यह [1]वी

(3) ए.आई.आर 1954 एस.सी 592.

(4) ए.आई.आर 1958 सभी। 374.

यह सुस्थापित सिद्धांत है जिस पर न्यायालयों ने कार्य किया है कि रिट का मुद्दा न्यायालय के विवेक के अंतर्गत है, यदि ऐसी रिट का मुद्दा निरर्थक हो तो न्यायालय शायद ही कभी रिट जारी करेगा। जैसा कि मैंने कहा है, इस मामले में यह निरर्थक होगा।"

(13) इन टिप्पणियों के साथ, पूर्ण पीठ के विद्वान न्यायाधीशों ने याचिका को खारिज कर दिया।

(14) इसलिए, हमारा विचार है कि इस रिट याचिका में योग्यता के आधार पर वर्तमान तथ्यों पर निर्णय पूरी तरह से अकादमिक होगा और वर्तमान याचिकाकर्ता को कोई राहत देने में असमर्थ है।

इसलिए, प्रतिवादी की ओर से उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति को बरकरार रखते हुए और वर्तमान याचिका को निरर्थक पाते हुए, हम इसे खारिज कर देंगे। मामले की परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

न्यायमूर्ति, आर.एस नरूला:-मैं सहमत हूं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

ममता
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
रोहतक, हरियाणा।